अनु:

<u> संलग्नक – V</u>

(पैराग्राफ – 8)

पता, आदि जाली नोट के ब्योरे प्रस्तुत करने के लिए फार्म -सतर्कता कक्ष (एफएनवीसी) से आरबीआई

(प्रत्येक वर्ष पर 1 जुलाई को ई-मेल द्वारा प्रस्तुत किया जाए)

बैंक का नाम	एफएनवीसी	प्रभारी	कोड सहित	कोड सहित	एफएनवीसी
	का पता	अधिकारी का	टेलीफोन	फैक्स संख्या	का
	(पिनकोड	नाम और पता	संख्या		इ-मेल पता
	सहित)				

उपरोक्त प्रस्तुत ब्योरे में किसी भी परिवर्तन को तत्काल सूचित करने के लिए हमने नोट कर लिया है।

प्राधिकृत अधिकारी का नाम

पदनाम

दिनांक :

नोटः पर पूर्ण भरे हुए फार्मेट को एम एस एक्सेल में ई<u>-मेल</u> द्वारा प्रेषित किया जाये।

(हाई कापी भेजने की आवश्यकता नहीं है)